# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव, जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री प्रतापसिंह आई.ए.एस.)

राजस्व आवेदन सं. 219/2018

अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. लूणा पुत्र सखी<br>2. गुला पुत्र सखी<br>3. हमीरा पुत्र सखी<br>4. लांगा पुत्र सखी<br>5. अमना पुत्र सखी<br>6. आमद पुत्र सखी जातियान मुसलमान जाति आंतरा, तहसील शिव जिला बाड़मेर | | 1. तहसीलदार शिव<br>2. नेनूदेवी पत्नि मोटाराम<br>3. राउदेवी पत्नि ठाकराराम<br>4. मलुदेवी पत्नि चतराराम जाति जाट निवासी कादानाडी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर<br>5. पारूदेवी पत्नि रूगनाथराम जाति जाट निवासी सोवड़ावास तहसील भीनमाल जिला जालोर<br>6. मुमलदेवी पत्नि मोहनलाल<br>7. लाधुदेवी पत्नि बाबुलाल जाति जाट निवासी चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर<br>8. नारायणसिंह पुत्र दीपसिंह कौम राजपूत निवासी हड़वा तहसील शिव जिला बाड़मेर<br>9. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शिव |

उपखण्ड अधिकारी शिव (बाड़मेर)

उपस्थित :– श्री बृजमोहन कुमावत वकील प्रार्थीगण
श्री ईशवरसिंह भाटी वकील विप्रार्थी

## –: निर्णय :–

दिनांक : 06.12.2019

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का खातेदारी खेत मौजा आंतरा तहसील शिव खेत खसरा नम्बर 221/146 रकबा 197–06 किस्म बा.दोयम का आया हुआ हैं जिसमे प्रार्थी सं. 2 गुला व प्रार्थी सं. 5 अमना पिसरान सखा द्वारा अपने हिस्सा मे से 21–05 बीघा भूमि का बैचान करने से शेष प्रार्थीगण के रकबा 176–05 बीघा भूमि खातेदारी की रही। तथा इसी खसरे मे से 02–04 बीघा भूमि मे से गु. मु. रास्ता निकाल दिया गया।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण ने अपने अपने खेंतो का न तो सीमाज्ञान करवाया न ही किसी भी मूल खातेदार अथवा अजनबी केतागणो द्वारा कभी नेखमबंदी करवाई। विप्रार्थीगण द्वारा सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना हल्का पटवारी से मिलकर विधि विरूद्ध अपने कयशुदा खेत के रकबे से अधिक खेत की तरमीम करवा दि गई है जिसे दुरूस्त करवाना चाहते है।

प्रार्थीगण की भूमि में पानी की प्रबल संभावनाए होने तथा पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर भविष्य अत्यधिक विवाद न हो इसलिये बिना किसी उलझंन एवं बिना किसी झंझट के नियमानुसार एवं कानूनी रूप से अपने हिस्सा की पट्टाशुदा आराजी की मौके पर कब्जा एवं काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाना चाहते है। विप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार राजस्व रेकर्ड का नियत्रंक/संधारक होने व विप्रार्थी सं. 2 से 8 सेढ़ा पड़ौसी होने से यह आवेदन विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण ने शपथ पत्र के साथ आवेदन पेश कर निवेदन किया कि मौजा आंतरा तहसील शिव के खसरा नम्बर 221/146 रकबा 173–17, रकबा 271/146 रकबा 21–05 बीघा तथा खसरा नम्बर 146 रकबा 204 बीघा भूमि के मध्य तरमीम लाईन को माफिक खातेदारी रेकर्ड/कब्जा अनुसार शुद्धि करवाई जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस डाक रजिस्टर एडी से तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 2 से 5 व 7 की ओर से श्री ईशवसिंह भाटी द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश कर बताया कि विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 146 की मौके पर कब्जा काश्त अनुसार पैमाईश की जाकर भूमि पूरी की जावे तत्तपश्चात विप्रार्थीगण के रकबे से अधिक भूमि की तरमीम की हुई हो तो भूमि प्रार्थीगण की दी जावे। तथा प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 221/146 रकबा 173–17 बीघा खसरा नम्बर 271/221 रकबा 21–05 बीघा भूमि की राजस्व रेकर्ड अनुसार मौके पर कब्जे काश्त अनुसार दुरूस्त की जाती है तो हमे कोई आपत्ति नही है।

विप्रार्थी सं. 6 व 8 को नोटिस डाक रजिस्टर एडी से भेजे हुए को एक माह से अधिक समय व्यतित हो जाने के बावजूद विप्रार्थी उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

तहसीलदार शिव से प्रकरण में मौका रिपोर्ट उनके पत्रांक राज/SP-1 दिनांक 29.11.2019 के द्वारा प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट खसरा नम्बर 221/146, 271/221, 272/221 रकबा कमश 173–17, 21–05, 02–04 बीघा (प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 8) के खातेदार व खसरा नम्बर 146, 269/146, 270/146 रकबा कमशः 164–13, 36–07, 03–00 बीघा (विप्रार्थी सं. 2 से 7) के खातेदार का कब्जा काश्त वर्तमान नक्शा से भिन्न है। प्रार्थीगण के खेत खसरा की तरमीम वर्तमान रेकर्ड (लटठा ट्रेस) नक्शा में 197–06 बीघा नही होकर कम की हुई है।

समस्त खातेदारान कब्जा काश्त अनुसार तरमीम करवाना चाहते है। वर्तमान मौका अनुसार तरमीम नक्शा संलग्न अनुसार मे से जो रास्ता कटाण किया गया है वह रास्ता अभियान के तहत मौके पर पहले से चल रही डामर सड़क को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया गया है। सेटंलमेन्ट का कटाण रास्ता व डामर सड़क दोनो अलग–अलग जगह पर चल रहे है। डामर सड़क को राजस्व रेकर्ड मे कटाण करके दर्ज किया गया। अतः तरमीत संशोधन हेतु किसी को आपत्ति नही है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी। विप्रार्थी सं. 2 से 5 व 7 के जवाब व तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अध्ययन अवलोकन किया। तहसीलदार शिव द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट इस यह स्पष्ट होता है कि खातेदारान का कब्जा काश्त वर्तमान नक्शा से भिन्न है। प्रार्थीगण के खेत की गई तरमीम की गई है वो कम है। विप्रार्थी सं. 2 से 5 व 7 भी गलत तरमीम को सही करवाने हेतु सहमत है।

**धारा 136 गलतियों का शुद्धिकरण** – भू–अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार – अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देख लें।

उपखण्ड अधिकारी शिव

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नही की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो।

तहसीलदार शिव से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खातेदारान का कब्जा काश्त वर्तमान नक्शा से भिन्न है। तथा तरमीम वर्तमान रेकर्ड (लट्ठा ट्रेस) नक्शा में नही होकर कम की हुई होना बताया गया है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार शिव द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट कमांक राज/SP-1 दिनांक 29.11.2019 निर्णय का अभिन्न अंग व अंश रहेगा। निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम दुरूस्ती करने व अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार शिव को आदेश दिया जाता है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2019 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शिव (बाड़मेर)

( प्रतापसिंह )
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 16:46:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: